

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

फोन नं०—05944—240071

पत्रांक: न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2020

दिनांक अगस्त 05, 2020

स्वामी/प्रबन्धक

मै० डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल,

शिमला पिस्तौर रूद्रपुर,

ऊधम सिंह नगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं०—84130040 दिनांक 23-07-2020 के अनुसार मै० डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, शिमला पिस्तौर रूद्रपुर, उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रूद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रूद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा निर्धारित टैरिस्टिंग फीस राजकोष में जमा करा दी गयी है।

अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिगत मानक के अनुसार संस्थान में 90 दिवस के भीतर 10 हजार लीटर क्षमता का टैरेस टैंक, प्रत्येक तल/निर्धारित दूरी पर हॉजरील्स, 450 लीटर प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस पम्प प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै० डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, शिमला पिस्तौर रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा निर्देशित समयोपधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किए जाने की स्थिति में ही यह अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05 अगस्त 2020 से 04 अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 4.5किग्रा क्षमता अन्य लैब में 01 अदद एबीसी क्षमता 05 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा तथा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

वंश शर्मा
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर